संख्या-397/2023/2694/22-2-2022-17(297)/2020

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृज मोहन पुत्र श्री सकटे, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-29059/प्रो0/197/पार्ट-।।, दिनांक 09.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृज मोहन पुत्र श्री सकटे, बदरेपुर मजरा बहोरिकपुर, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-17.02.1999 को वादी रफीक अहमद की 08 वर्षीय लड़की जो कि खेत में लकड़ी बीन रही थी अभियुक्त ने उसे अकेला देखकर पकड़ लिया और गेहूँ के खेत में नीचे गिराकर जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर उसके साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-253/1999 में भा0द0वि0 की धारा-376(2)(एफ) के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 25.04.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-10.05.2007 द्वारा यथावत रखा गया, द्वारा दिनांक 26.01.2021 तक 21 वर्ष 10 माह 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 28 वर्ष 09 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा 08 वर्षीय अबोध लड़की के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार घृणित व जघन्य व स्त्री जाति के व्यक्तित्व के विरूद्ध ही नीं अपितु समग्र सामज के विरूद्ध किया गया अपराध है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं जन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत सिद्धदोष बन्दी बृजमोहन पुत्र श्री सकटे की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति समिति द्वारा नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृज मोहन (बन्दी संख्या-12228) पुत्र श्री सकटे, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-397/2023/2694(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।